First ISO 9001:2008 certified
Government organisation in Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ इंफोटेक एवं बायोटेक प्रमोशन सोसायटी
''चिप्स''

चिप्स के विभिन्न भवनों की सुरक्षा, हाऊस कीपिंग एवं सफाई हेतु निविदा विवरणिका

मूल्य रु. 300/–

(इसे सादे कागज पर प्रिंट कर, भरे हुए निविदा पत्र को मुहरबंद कर रूपये 300/– का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के नाम से संलग्न कर प्रस्तुत किया जाएं)

First ISO 9001:2000 certified
Government Organisation in Chhattisgarh

कार्यालय चिप्स
एस डी सी भवन, सिविल लाईन्स
रायपुर 492001
दूरभाष 4014158 फैक्स 4066205
www.chips.gov.in ; e mail- ceochips@nic.in

क्रमांक– /मुकाअ/वित्त/2017 रायपुर, दिनांक / /2017

चिप्स के विभिन्न भवनों की सुरक्षा, भृत्य एवं सफाई कार्य हेतु

द्वितीय निविदा आमंत्रण

चिप्स के विभिन्न भवनों की सुरक्षा, भृत्य एवं सफाई कार्य हेतु निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें प्रपत्र एवं अन्य जानकारी चिप्स की वेबसाईट www.chips.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे सादे कागज पर प्रिंट कर आवेदन पत्र की पूर्ति की जा सकती है। इस भरे हुए निविदा पत्र को मुहरबंद कर उसके साथ रूपये 300.00 (रूपये तीन सौ केवल) का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स के नाम से संलग्न कर प्रस्ताव दिनांक 20/02/17 को दोपहर 12 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
चिप्स

मुख्य तिथियां

1. निर्धारित आवेदन प्रपत्र वेबसाईट **www.chips.gov.in** से डाऊनलोड करने की अंतिम तिथि – 20/02/17 ।

2. मुहरबंद दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि– दिनांक 20/02/17 को दोपहर 12 बजे तक।

3. सुरक्षा निधि (लिफाफा–A) एवं फर्म की पात्रता की जानकारी (लिफाफा–B) के लिफाफे खोलने की तिथि – दिनांक 20/02/17 को दोपहर 4 बजे।

4. पात्र फर्म के वित्तीय प्रस्ताव (लिफाफा C) खोलने की तिथि– दिनांक 23/02/2017 को दोपहर 3 बजे।

संपर्क का पता
छत्तीसगढ़ इंफोटेक एंड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
स्थान– कार्यालय चिप्स
एस डी सी भवन, सिविल लाईन्स
रायपुर 492001
दूरभाष 4014158 फैक्स 4066205
फोन–0771–4066277, फैक्स–4066205

<u>अध्याय– क</u>

चिप्स के विभिन्न भवनों की सुरक्षा, भृत्य एवं सफाई कार्य हेतु निविदा शर्तें

फर्म द्वारा योग्य एवं कुशल कार्यकर्ताओं (जो चिप्स को मान्य हो) के माध्यम से चिप्स को यह सेवाएं उपलब्ध कराई जावेगी।

<u>1. सेवा का स्वरूप–</u>

(1.1) चिप्स के कार्यालय परिसरों में निर्देशानुसार भवनों एवं परिसरों की दिन रात (24 घंटे) अवकाश दिवसों सहित सुरक्षा करना।

(1.2) इन परिसरों के अंदर कार्यरत कर्मचारी तथा अधिकृत रूप से प्रवेश प्राप्त नागरिकों, मशीनों, उपकरणों, फर्नीचरों एवं सामग्रियों की सुरक्षा करना।

(1.3) इन परिसरों में आने–जाने वाले व्यक्तियों, मशीनों, उपकरणों, फर्नीचरों सामग्रियों तथा वस्तुओं की दैनंदिनी रखना।

(1.4) इन परिसरों की धोखाधड़ी, चोरी, लूटपाट, डकैती, अग्नि एवं अन्य मानवजनित दुर्घटनाओं आदि से सुरक्षा बनाये रखना।

(1.5) परिसरों में अनाधिकृत व्यक्तियों एवं सामग्रियों के प्रवेश को रोकना।

(1.6) परिसरों में सद्भावना एवं शांति के आसन्न खतरे से सुरक्षा प्रदान करना।

(1.7) आगन्तुकों को परिचय पत्र, हस्ताक्षर, फोटोग्राफ देखकर उसके आधार पर प्रवेश देना और उसकी दैनंदिनी संधारित कर उसमें हस्ताक्षर प्राप्त करना।

(1.8) चिप्स के कार्यालयों में लगे अग्नि–शमन के उपकरणों की देख–रेख एवं उनके उपयोग की जानकारी रखना।

(1.9) चिप्स के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों में ऑफिस ब्वायज की सेवाएं उपलब्ध कराना, जो विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मियों के निर्देशानुरुप कार्य करेंगे।

(1.10) भवन, बाथरुम, टाईलेट्स, सीढ़ियों, फर्नीचर, मशीन एवं उपकरणों की सफाई करना एवं उन्हें व्यवस्थित बनाये रखना।

(1.11) भवन में सफाई हेतु उपकरणों/ सामग्रियों की उपलब्धि व्यवस्थित बनाये रखना।

(1.12) विभिन्न भवनों में स्थित कक्ष/हाल, फर्श, आंगन की सफाई/पौछाईं, दीवारें एवं उसमें लगे जालों आदि की सफाई, सोफे, उपकरणों, टेबलों, कुर्सियों, आलमारियों, रेक्स, रोशनदान, खिड़कियों, कांच व परिसर में रखे डस्टबिनों की नियमित सफाई करना होगी। विभिन्न उपकरणों एवं कांच की कोलीन या अन्य समान लिक्विड से करना होगी।

(1.13) विभिन्न भवनों स्थित टाईलेट्स की सफाई एवं धुलाई कर फिनायल लिक्विड का छिड़काव करना होगा। टाईलेट्स में फिनायल एवं ओडोनिल आदि की गोलियां, डालना होगी। टायलेट की सफाई प्रत्येक कार्य दिवस में आधे दिन के अन्तराल पर करना होगा।

(1.14) विभिन्न भवनों स्थित थूकदानों, नालियों आदि में आवश्यकतानुसार ब्लीचिंग पावडर छिड़कना होगा तथा थूकदानों की रेत, प्रतिदिन बदलना होगा। टायलेट्स/ बाहर की नाली, परिसर की सड़कें, खुले स्थान का कचरा, आदि साफ करना होगा।

(1.15) प्रत्येक रविवार को चिप्स के विभिन्न भवनों में स्थित तलों/फ्लोर्स, रेम्प, सीढ़ियों की धुलाई करनी होगी।

(1.16) उपरोक्त कार्यो हेतु सफाई उपकरणों/ सामग्रियों की व्यवस्था निविदाकार को करना होगी तथा सामग्री की गुणवत्ता की जांच प्रथम पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि से कराना होगी। यदि सामग्री की उपलब्धता में कमी होगी तो इस कार्यालय द्वारा सामग्री क्रय की जाकर ठेकेदार के मासिक बिल से उस राशि का कटौत्रा किया जायेगा।

(1.17) द्वितीय पक्ष को सफाई कार्य प्रतिदिन (अवकाश दिनों सहित) प्रातः 7.00 बजे से 9.30 बजे के मध्य करना होगा।

(1.18) कार्य में प्राप्त कचरा, रद्दी, पुराने समाचार पत्र आदि प्रथम पक्ष की सम्पत्ति होगी एवं इनका विक्रय/व्यवसायिक उपयोग द्वितीय पक्ष द्वारा नही किया जा सकेगा।

(1.19) कार्य में निकले कचरे का निष्पादन प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(1.20) ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गये कार्मिक प्रतिदिन निर्धारित वर्दी पहन कर आयेंगे। इस वर्दी का प्रदाय चिप्स द्वारा नहीं किया जायेगा।

(1.21) चिप्स द्वारा की गई सेवा से संबंधित शिकायत को निविदाकार द्वारा त्वरित निराकरण करना होगा।

(1.22) कार्य व्यवस्था में आंशिक परिवर्तन का अधिकार चिप्स के प्रतिनिधि को होगा।

(1.23) निविदाकर्त्ता द्वारा नियोजित ऐसे कर्मचारी जो अयोग्य हों अथवा जिसका आचरण कार्य में नियोजित रखने योग्य न हो, को हटाने का अधिकार चिप्स को होगा एवं उस निर्णय को तत्काल प्रभाव से पालन करने हेतु निविदाकर्त्ता बंधनकारी होगा।

(1.24) कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों के संबंध में निविदाकार को सम्पूर्ण जानकारी यथा– नाम, पिता का नाम, जाति, स्थायी एवं वर्तमान निवास के पते, शैक्षणिक योग्यता, चरित्र प्रमाण–पत्र, पहचान एवं फोटो, उनके कार्य करने की तिथियों की जानकारी रखना होगा एवं चिप्स द्वारा चाहने पर प्रस्तुत करना होगा। यदि शासन के नियमानुसार उनका पुलिस सत्यापन किया जाना है तो वह भी निविदाकार को करना होगा।

(1.25) निविदाकार को योग्य एवं कुशल कर्मियों की उपलब्धता, नियंत्रण एवं दैनिक रुप से पर्यवेक्षण/निरीक्षण करना होगा।

(1.26) निविदाकार को कर्मियों के प्रति शासन के विभिन्न नियमों अनुसार सभी दायित्वों का निर्वाह करना होगा। इसके लिये प्रथम पक्ष की कोई देयताएं या जिम्मेदारी नहीं होगी।

(1.27) निविदाकार को राज्य में लागू कानून के अनुरूप द्वितीय पक्ष को मानव संसाधन के समस्त स्वत्वों/सुविधाओं की प्रदायगी एवं निराकरण करना होगा। इसके लिये चिप्स की कोई देयताएं या जिम्मेदारी नहीं होगी।

2. फर्म की पात्रताएंः—

(2.1) फर्म को छत्तीसगढ़ राज्य में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2012 या इससे पूर्व से पंजीकृत होना चाहिये। इसके लिये उन्हें पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.2) फर्म को सर्विस टैक्स नियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये। इसके लिये उन्हें सर्विस टैक्स पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.3) फर्म का आय कर में पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.4) फर्म को कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वर्ष 2012 या इससे पूर्व का पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.5) फर्म को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वर्ष 2012 या इससे पूर्व का पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत करना होगा।

(2.6) फर्म का विगत तीन वर्ष 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 में वार्षिक टर्न–ओवर कम से कम 3 करोड़ (3 वर्ष का औसत) होना चाहिये। इसके लिये उन्हें सी ए ऑडिट रिपोर्ट की फोटो प्रति जो सी ए द्वारा प्रमाणित होगी, देना होगा।

(2.7) फर्म द्वारा 3 साल, 2012—13, 2013—14 एवं 2014—15 के आय कर रिटर्न की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाए।

(2.8) फर्म को विगत 5 वर्ष, 2011—12, 2012—13, 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 में प्रत्येक वर्ष का शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम तथा स्थापनाओं के सुरक्षा, सफाई एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने के दायित्व के कुशल निर्वहन का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित संस्थान/ संस्थानों का कार्यादेष एवं अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए, इन्हें ही अनुभव की गणना हेतु मान्य किये जायेगें।

(2.9) फर्म को चिप्स में कार्यरत कर्मियों का वेतन/ मानदेय प्रतिमाह की 5 तारीख तक भुगतान करना होगा। यदि वे इस तिथि तक भुगतान नहीं करते है तो उन पर रु. 100/– प्रतिदिन/ प्रति व्यक्ति की दर से अर्थ दंड लगाया जायेगा।

(2.10) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सूची में फर्म में वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 में न्यूनतम 400 कर्मचारी हर माह कार्यरत हों। सूची की फोटो प्रति प्रस्तुत की जाए।

(2.11) फर्म का ISO 9001:2006 या OHSAS 18001:2007 esa lfVZQkbZM gks ।

(2.12) फर्म द्वारा उसे किसी भी संस्थान द्वारा ब्लैकलिस्ट न किये जाने का स्व–प्रमाणित प्रमाणपत्र देना होगा

3. सेवा प्रदायगी संबंधी जानकारीः–

(3.1) निविदाकार को निम्नलिखित दो स्थानों हेतु 24 घंटे के लिए हथियाररहित सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराना होगा–

(अ) चिप्स के आर डी ए भवन स्थित कार्यालय
(ब) चिप्स के आर डी ए भवन स्थित एस एच क्यू भवन

(3.2) निविदाकार को निम्नलिखित अनुसार कर्मी उपलब्ध कराना होंगे–

1.	सुरक्षा कर्मी	7
2.	ऑफिस ब्वायज	9
3.	सफाई कर्मी	6

यह संख्या अनुमानित है, जिसे कम किया या बढ़ाया जा सकता है।

(3.3) निविदाकार द्वारा सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मियों की उम्र 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिये। वे शारीरिक रुप से पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। सेवानिवृत सैन्य कर्मियों या अर्द्ध सैन्य कर्मियों को शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट दी जा सकती है।

(3.4) निविदाकार द्वारा सुरक्षा गार्ड तथा ऑफिस ब्वॉय सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्ति कम से कम 10 वीं स्तर तक शिक्षित होना चाहिए।

(3.5) निविदाकार द्वारा सफाई का कार्य निम्नलिखित परिसरों में किया जायेगा–

(अ) चिप्स के आर डी ए भवन स्थित कार्यालय
(ब) मंत्रालय स्थित सर्वर रुम परिसर

(3.6) निविदाकार द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्तियों का कार्य चिप्स के प्रति पूर्णतः समर्पित होगा। कार्यालय अवधि अथवा उसके बाद इनकी सेवाओं का अन्यत्र उपयोग नहीं किया जावेगा।

4. हानि की दशा में जिम्मेदारी :– सुरक्षा चूक की दशा में होने वाली हानि की राशि की वसूली पूर्णतः सिक्यूरिटी फर्म से की जावेगी।

5. कार्य निरस्तीकरण :– चिप्स की आवश्यकताओं के अनुरुप अथवा पर्याप्त स्तर के अनुकूल मानव संसाधन/ सेवाएं नहीं होने स्थिति में तीन दिवस का नोटिस सुधार हेतु दिया जावेगा, अपेक्षित सुधार नहीं होने की दशा में अनुबंधित कार्य को निरस्त किया जा सकेगा।

6. जमानत राशि :– फर्म द्वारा प्रस्तुत मासिक देयक से 5 प्रतिशत के समतुल्य राशि काटकर बैंक में जमा की जावेगी तथा संतोषप्रद रुप से कार्य सम्पूर्णता के उपरांत ब्याज रहित वापस की जा सकेगी।

7. अर्नेस्ट मनी :– निविदा प्रपत्र जमा करने के साथ ही रू. 30,000/– (रूपये तीस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफ.डी.आर. के रूप में जमा की जावेगी।

8. राज्य में लागू कानून के अनुरूप फर्म को मानव संसाधन के समस्त स्वत्वों/ सुविधाओं की प्रदायगी एवं निराकरण करना होगा। इस पर चिप्स का कोई दायित्व नहीं होगा।

9. निविदा पत्र की प्रस्तुति के साथ समस्त आवश्यक क्लीयरेंसेस, सर्टिफिकेट्स एवं अनुमतियां आदि प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

10. प्रत्येक निविदाकर्त्ता को तीन पृथक–पृथक लिफाफे में सील बंद कर नीचे दर्शाई जानकारी रखना होगी तथा इन तीनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे में जिस पर **सुरक्षा एवं सफाई हेतु निविदा 2017** अंकित हो तथा उस पर फर्म का नाम, पते का स्पष्ट उल्लेख हो, सीलबंद कर नियत तिथि तक समय पर चिप्स कार्यालय में जमा करेंगे । उक्त बड़े लिफाफे में निम्नानुसार लिफाफे रखेंगे :–

1– लिफाफा "A" सुरक्षा निधि से संबंधित प्रारुप परिशिष्ट ''अ'' में
2– लिफाफा "B" फर्म की पात्रता के संबंध में प्रारुप परिशिष्ट ''ब'' में
3– लिफाफा "C" सेवाओं की दरों से संबंधित प्रारुप परिशिष्ट ''स'' में

प्रथमतः लिफाफा "A" खोला जावेगा। नियमानुसार सुरक्षा निधि का ड्राफ्ट होने पर ही लिफाफा "B" खोला जावेगा यदि समिति द्वारा फर्म पात्र पाई जाती है तो उस फर्म का लिफाफा "C" खोला जायेगा ।

11. निविदाकर्त्ता को कलेक्टर रायपुर द्वारा संबंधित पद के लिए अधिसूचित न्यूनतम वेतन दर की राषि, इस कार्यालय से प्राप्त उपस्थिति के आधार पर, चैक द्वारा कर्मियों को भुगतान करना होगा। नियमानुसार कर्मियों के ई पी एफ तथा ई एस आय की राषि तथा फर्म द्वारा सर्विस टैक्स की राषि जमा कर मूल रसीद की प्रति या स्वाहस्ताक्षरित फोटो प्रति इस कार्यालय में आगामी माह के बिल के साथ जमा करना होगा।

12. निविदाकर्त्ता को इस कार्यालय के कर्मियों के ई पी एफ तथा ई एस आय की राषि पृथक चालान से जमा करना होगा। चालान की राषि, कार्यालय द्वारा प्रदत्त राषि से मेल रखती हो। चालान के साथ कर्मीवार जमा की गई राषि की सूची भी प्रस्तुत की जाये।

13. फर्म को कर्मियों का कलेक्टर द्वारा अधिसूचित दर का मासिक बिल चिप्स को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। इस बिल में कर्मियों के ई पी एफ, ई एस आय, रिटेनर चार्जेस एवं सर्विस टैक्स की राशि को पृथक से दर्षाया जाएं यह राषि जमा कर मूल रसीद की प्रति या

सील सहित स्वहस्ताक्षरित फोटो प्रति इस कार्यालय में आगामी माह के बिल के साथ जमा कराई जाएं। यह रसीद प्राप्त होने पर ही इस राशि भुगतान किया जायेगा।

143. निविदा सील बंद लिफाफे में दिनांक 20/2/17 को दोपहर 12.00 बजे तक चिप्स कार्यालय, एस डी सी भवन, रायपुर के आवक कक्ष में जमा करना होगा। यह निविदा दिनांक 20/02/17 को सांयकाल 4 बजे निविदाकर्त्ता फर्म के प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। इसमें निविदाकर्त्ता फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकेगा। इस दिन निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा A एवं B खोले जायेगें।

15 निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा B की जानकारी अनुसार यदि फर्म पात्र पाई जाती है तो उनके वित्तीय प्रस्ताव का लिफाफा "C" दिनांक 23/02/17 को दोपहर 3 बजे चिप्स कार्यालय, एस डी सी भवन, रायपुर में खोले जायेगें।

16. निविदा स्वीकृत होने पर संबंधित निविदाकार को चिप्स, रायपुर से नान–जुडिशियल स्टांप पर अनुबंध/करारनामा करना होगा, जिसके लिए आवश्यक स्टांप पेपर की राशि रू. 100.00 (रूपये सौ मात्र) निविदाकर्ता (ठेकेदार) को वहन करना होगा।

17. यदि निविदाकर्त्ता ने कार्यादेश जारी करने के उपरान्त नियत तिथि तक अनुबंध निष्पादित नहीं किया तो उनकी अर्नेस्ट मनी राजसात (जब्त) कर ली जावेगी।

18. यदि अतिरिक्त रुप से कोई सेवा ली जाती है तो उसकी दरें दर्शाई गई दरों के आधार पर देय होगी।

19. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को रहेगा।

अध्याय– ख

सुरक्षा निधि से संबंधित प्रारुप परिशिष्ट ''अ''

लिफाफा क्रमांक–A

01– निविदा क्रमांक :– ––––––––––––––––––––––––––––
02– निविदाकर्ता का नाम :– ––––––––––––––––––––––––––––
03– निविदाकर्ता का पूरा वर्तमान पता :– ––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––
04– निविदाकर्ता का स्थाई पता :– ––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––
05– निविदाकर्ता की फर्म का नाम एवं डाक पता :– ––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––
06 फर्म का फोन नम्बर :– ––––––––––––––––––––––––––––
फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि का मोबाईल नम्बर :– ––––––––––––––––––––––
फर्म का मेल आई डी :– ––––––––––––––––––––––––––––
07– निविदाकर्ता की फर्म का रजिस्ट्रशन क्रमांक एवं दिनांक :– ––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––
08– अर्नेस्ट मनी की राशि – रू.30,000/–(तीस हजार रूपये मात्र)
बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/एफडीआर क्रमांक – ....
दिनांक – ....
बैंक का नाम – ....

<u>कृपया राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करें</u>

// **<u>घोषणा – पत्र</u>** //

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है। यदि उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाती है, तो मेरी निविदा निरस्त कर मेरे विरूद्ध निविदा शर्तों के अनुसार कार्यवाही किए जाने का अधिकार निविदा आमंत्रणकर्ता को होगा। मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को पूर्ण रूप से पढ़ व समझ लिया है तथा उसमें दी गई शर्तें मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ––––––––––––––––
नाम ––––––––––––––––––––––––––––––––––
पता ––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––
फर्म (सील)––––––––––––––––––––––––

अध्याय– ग

फर्म की पात्रता के संबंध में प्रारुप परिशिष्ट ''ब''

लिफाफा क्रमांक "B"

फर्म की पात्रता के संबंध में जानकारी

क्रं.	विवरण	संलग्नक क्रमांक
1	फर्म की छत्तीसगढ़ राज्य में दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि	
2	फर्म की सर्विस टैक्स नियम के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि	
3	फर्म का आय कर पैन कार्ड की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि	
4	फर्म की कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि	
5	फर्म को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीयन होना आवश्यक है, इसके लिये उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व–प्रमाणित फोटो प्रतिलिपि प्रस्तुत किया जाएं।	
6	फर्म का विगत तीन वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के सी ए ऑडिट रिपोर्ट की फोटो प्रति जो सी ए द्वारा प्रमाणित होना है	
7	फर्म को 5 साल, 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 का शासकीय/सार्वजनिक उपक्रम तथा स्थापनाओं में सुरक्षा, सफाई एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने का स्वप्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएं। अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।	
8	विगत 3 वर्षों 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 का आयकर रिटर्न प्रस्तुत किया जाएं।	
9	विस्तृत निविदा प्रस्ताव **अध्याय–क** के प्रत्येक पृष्ठ की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न करें	
10	उपरोक्तानुसार अपेक्षित अन्य दस्तावेज	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ----------

स्थान -------------- नाम ------------------------

दिनांक / / फर्म (सील)--------------------

<u>अध्याय– घ</u>

सेवाओं की दरों से संबंधित प्रारुप परिशिष्ट ''स''

लिफाफा क्रमांक "C"

<u>सेवाओं की प्रस्तावित दरें</u>

क्र.	विवरण	राशि अंकों में	राशि शब्दों में
1	निविदाकर्त्ता का सेवा शुल्क (प्रति व्यक्ति/प्रतिमाह)		

नोट–

1. कलेक्टर रायपुर द्वारा संबंधित पद के लिए निर्धारित मासिक मजदूरी/मानदेय/दर की राशि, इस कार्यालय की प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर देय होगी। इसमें कर्मियों के ई पी एफ तथा ई एस आय की राशि तथा फर्म द्वारा सर्विस टैक्स की राशि सम्मिलित नहीं है। कलेक्टर, रायपुर द्वारा निर्धरित दरों में परिवर्तन अनुसार राशि देय होगी।

2. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं की दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स को रहेगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर ––––––––––

नाम ––––––––––––––––––––––––––

स्थान ––––––––––––––––

फर्म (सील)––––––––––––––––––––––

दिनांक / /